

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं0 5(1)चिस्वा / 2 / 2023 / 04562

जयपुर,दिनांक:

आदेश

डा0 विनोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ(सर्जरी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर (जन्मतिथि 19.08.1968 एवं प्रथम नियुक्ति तिथि 20.03.1995) को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम-50(1) के अन्तर्गत दिनांक 15.03.2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

डॉ शर्मा के विरुद्ध आज तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निशा मीना)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक (जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।
6. प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।
7. डा0 विनोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ(सर्जरी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव
Signature valid

RajKaj Ref
6147031



Digitally signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.03.15 11:55:45 IST
Reason: Approved